न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी सुश्री श्वेता कोचर, आर.ए.एस.

| नम्बर मुकदमा | किस्म मुकदमा | ता0 दायरा | निर्णय तिथि |
|---|---|---|---|
| 487/2018 | दावा 53, 88 RTA | 13.11.2018 | 27.09.2019 |

1. जयपालसिंह पुत्र
2. नरपतसिंह पुत्र
3. भवानीसिंह पुत्र
4. विनोदकंवर पुत्री
5. ओमकंवर पत्नी

छतुसिंह जाति राजपूत निवासी दूधवा मीठा तहसील व जिला चूरू (राज.)

—वादीगण—

बनाम

1. छतुसिंह दत्तक पुत्र मालसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम दूधवा मीठा, तहसील व जिला चूरू (राज.)
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, चूरू (राज.)

—प्रतिवादीगण—

3. बड़ौदा राज. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा जसरासर तहसील व जिला चूरू (राज.)

—गौण प्रतिवादी—

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88 आर.टी.ए.

उपस्थित — 1. अधिवक्ता श्री सुरेन्द्रकुमार बुडानिया वादीगण

निर्णय

वादी की ओर से दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए. का पेश कर निवेदन किया कि वादीगण प्रतिवादी सं. 1 के पुत्र पुत्री हैं तथा प्रतिवादी सं. 1 के जायज उत्तराधिकारी व वारिसान हैं। यह कि कृषि भूमि ख.नं. 320 तादादी 5.8805 हैक्टेयर व ख.नं. 540/2 तादादी 6.2094 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल तादादी 12.0899 हैक्टेयर रोही मौजा दूधवा मीठा तहसील व जिला चूरू में स्थित चली आ रही है जिसके वर्तमान खाता सं. 55 व पुराने खाता सं. 46 हैं। जो प्रतिवादी सं. 1 के नाम से खातेदारी के रूप में दर्ज है। उक्त कृषि भूमि वादीगण की पुश्तैनी दादालाई सम्पति है, हिन्दू परिवार की पैतृक सम्पति है, जिसमें वादीगण का प्रतिवादी सं. 1 के यहां जन्म लेने से ही हक अधिकार निहित हो गया है। उक्त कृषि भूमियों में प्रतिवादी सं. 1 के साथ वादीगण का भी बहिस्सा बराबर हक व अधिकार है। यही वादगत कृषि भूमियां हैं। यह कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 में पारिवारिक कारणों से पिछले तीन वर्षों से प्रतिवादी सं. 1 वादीगण से नाराज हैं तथा वादीगण को वादगत कृषि भूमि में उनके हक हिस्से की प्रत्येक की 1/6 हिस्सा भूमि को काश्त नहीं करने दे रहा है, काश्त करने पर दखल अंदाजी करते हैं तथा जबरदस्ती करने पर लड़ाई झगड़ा, मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। प्रतिवादी सं. 1 ने अब तो वादीगण

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

को उक्त कृषि भूमियां विक्रय की धमकी देनी शुरू कर दी है। बाला बाला ग्राहक भी तलाश रहे हैं। इसलिए वादीगण के लिये अब यह जरूरी हो गया है कि उक्त कृषि भूमियों में वादीगण अपने अपने हिस्से प्रत्येक का 1/6 हिस्सा की घोषणा बतौर खातेदार, काश्तकार काबिज होकर अपने नाम करवायें व राजस्व रिकार्ड में अपना नाम बतौर खातेदार, काश्तकार दर्ज करवायें तथा अपने नाम से अपने अपने प्रत्येक के 1/6 हिस्से हक का खाता विभाजन करवायें व अलग खाता कायम करवायें, इस हेतु यह वाद वादीगण पेश किया जा रहा है।

यह कि वादीगण शान्तिप्रिय व्यक्ति हैं। वादीगण ने प्रतिवादी सं. 1 को काफी बार कहा एवं कहलवाया कि वो साथ चलकर वादगत कृषि भूमियों में वादीगण के हक हिस्सा की घोषणा करवाये, राजस्व रिकार्ड में वादीगण का नाम बतौर खातेदार काबिज काश्तकार दर्ज करवाये तथा वादीगण के नाम से अलग खाता कायम करवा कर खाता विभाजन करवाये। इस पर पहले तो प्रतिवादी सं. 1 टालमटोल करता रहा मगर दिनांक 30.02.2018 को घोषणा व खाता विभाजन करवाने से स्पष्ट रूप से इन्कार कर दिया। यह कि वादगत कृषि भूमियां वादीगण पुश्तैनी, दादालाई, हिन्दू परिवार की पैतृक सम्पति होने से वादगत कृषि भूमि में वादीगण का हक हिस्सा होने से व वादीगण प्रतिवादी सं. 1 के जायज उत्तराधिकारी व वारिस होने से उन्हें दावा पेश करने का अधिकार प्राप्त है तथा प्रतिवादी सं. 1 द्वारा दिनांक 30.05.2018 को उक्त भूमि की घोषणा करवाने व खाता विभाजन करने से इन्कारी के कारण वाद आधार प्राप्त है। गौण प्रतिवादी सं. 3 के पास उक्त भूमि रहन होने से उसे पक्षकार बनाया गया है। यह कि पव्रतिवादी सं. 2 को पक्षकार वाद बनाया जाने से पहले धारा 80 जाब्ता दीवानी का नोटिस दिये जाने का प्रावधान है, परन्तु इस दावा में तहसीलदार के खिलाफ कोई प्रतिकूल अनुतोष नहीं चाहा गया है, केवल दावा डिक्री होने की सूरत में मुताबिक डिक्री के कार्यवाही प्रतिवादी सं. 2 के मार्फत होनी है। इसलिये बिना दावा 80 जाब्ता दीवानी का नोटिस दिये ही तहसीलदार, चूरू को वाद पक्षकार बनाया गया है। यह कि वादगत कृषि भूमि वाके रोही दूधवा मीठा तहसील व जिला चूरू में स्थित होने के कारण वाद श्रीमान् जी के श्रवणाधिकार, क्षेत्राधिकार का है, जो दावा वादीगण द्वारा उचित न्यायशुल्क पर दावा अन्दर मियाद पेश किया जा रहा है।

अतः वाद वादीगण पेश कर सादर निवेदन है कि वादी का वाद स्वीकार फरमाया जाकर वाद बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण नीचे लिखे अनुसार डिक्री फरमाया जावेः—

(क) घोषित किया जावे कि कृषि भूमि खसरा नंम्बर 320 तादादी 5.8805 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 540/2 तादादी 6.2094 हैक्टेयर कुल किता 02 की कुल तादादी 12.0899 हैक्टेयर रोही मौजा दूधवा मीठा तहसील व जिला चूरू में वादीगण का प्रत्येक का 1/6 हिस्से के वादीगण खातेदार काबिज काश्तकार हैं व प्रत्येक का 1/6 हिस्सा वादीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकित किया जावे।

(ख) यह कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 320 तादादी 5.8805 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 540/2 तादादी 6.2094 हैक्टेयर कुल किता 02 की कुल तादादी 12.0899 हैक्टेयर रोही

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

मौजा दूधवा मीठा तहसील व जिला चूरू में वादीगण के प्रत्येक के 1/6 हिस्सा कृषि भूमि को बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन कर नक्शा तरमीम व तकसीम अलग किया जाकर, लगान कायम किया जाकर वादीगण के प्रत्येक की 1/6 हिस्सा की पासबुक जारी की जावे।

(ग) खर्चा मुकदमा वादीगण को प्रतिवादी सं. 1 से दिलवाया जावे अन्य अनुतोष जो हितकर वादीगण हो या दौराने सुनवाई वाद हो जावे वो भी वादीगण को प्रतिवादी सं. 1 से दिलवाया जावे।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की जरिये सम्मन तलबी की गई जिस पर प्रतिवादी सं. 2 की ओर से पैरोकार राज उपस्थित हुए एवं प्रतिवादी सं. 3 की ओर से जवाब प्राप्त हुआ जो शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी सं. 1 विधिवत तामील के बावजूद उपस्थित नहीं हुए जिस पर न्यायालय समय में उनको बार बार आवाजें लगाई गई परन्तु बिना कोई उचित कारण के अनुपस्थित रहने पर प्रतिवादी सं. 1 के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

प्रतिवादी सं. 3 बी.आर.के.जी. बैंक शाखा जसरासर की ओर से पेश जवाब में अंकित किया कि श्री छतुसिंह पुत्र मालसिंह निवासी दूधवा मीठा ने हमारी शाखा से के.सी.सी. ऋण लिया हुआ है जिसमें उनकी कृषि भूमि खसरा नं. 320 व 540/2 में कुल 12.0899 है0 बैंक के पक्ष में रहन दर्ज है। उक्त विषय में आपसे अनुरोध है कि छत्तुसिंह पुत्र मालसिंह का खाता विभाजन करते समय बैंक के पक्ष में रहन कृल कृषि भूमि यथावत् रहे तथा बैंक के हित प्रभावित नहीं करते हुये न्यायालय निर्णय करे।

पत्रावली साक्ष्यवादी में नियत की गई। साक्ष्यवादी में गवाह जयपालसिंह ने उपस्थित होकर साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया। गवाह के बयान लेखबद्ध किये गये। प्रतिवादी पर एकपक्षीय कार्यवाही होने से जिरह शून्य रही। तत्पश्चात् साक्ष्यवादी हेतु काफी अवसर प्रदान किये जाने पर भी अन्य साक्ष्य पेश नहीं करने पर साक्ष्यवादी बन्द की जाकर वकील वादीगण की बहस सुनी गई।

वकील वादीगण ने अपनी बहस में वादपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादगत कृषि भूमि वादीगण की पैतृक दादालाई सम्पत्ति है तथा वादीगण प्रतिवादी सं. 1 के वैध उत्तराधिकारी है। उक्त वादगंत कृषि भूमि वर्तमान में प्रतिवादी सं. 1, जो वादीगण के पिता हैं, की खातेदारी में दर्ज चली आ रही है। वादगत कृषि भूमि वादीगण की पैतृक दादालाई एवं हिन्दू परिवार की सम्पत्ति होने से इस भूमि में वादीगण का हक हिस्सा जन्म से ही है। इसलिए वादीगण अपने पैतृक हक हिस्सा की कृषि भूमि की खातेदारी की घोषणा करवा कर अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी हैं। दावा में मुख्य प्रतिवादी सं. 1 ने दावा के विरोध में कोई जवाब या साक्ष्य पेश नहीं किया है। वादीगण ने अपने दावा कथनों एवं पेश दस्तावेजों को साक्ष्यवादी से

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

प्रमाणित करवाया है जिससे दावा वादीगण के पक्ष में साबित होता है। वर्तमान में हम केवल खातेदारी की घोषणा करवा कर घोषणा के अनुरूप खातेदारी हिस्सों का राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाना चाहते हैं तथा खाता विभाजन नहीं करवाना चाहते हैं। अतः दावा वादीगण खातेदारी की घोषणा की हद तक स्वीकार फरमाया जाकर वादीगण को प्रतिवादी सं. 1 के साथ प्रत्येक को 1/6 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं तहसीलदार, चूरू को निर्णय व डिक्री के अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन करने का आदेश दिया जावे।

वकील वादीगण की बहस सुनी जाकर पत्रावली एवं पेश दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं चिन्तन मन किया गया। प्रदर्श–1 शपथ पत्र जयपालसिंह पुत्र छत्तुसिंह का है, जिसमें दावा में अंकित तथ्यों को दोहराया गया है। प्रदर्श–2 जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 ख.नं. 320, 540/2 कुल तादादी 12.0899 हैक्टेयर रोही ग्राम दूधवा मीठा में वर्तमान में प्रतिवादी सं. 1 छत्तुसिंह पुत्र मालसिंह खातेदार अंकित है तथा सम्पूर्ण कृषि भूमि बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा जसरासर के रहन दर्ज है। वादीगण का दावा घोषणात्मक खातेदारी एवं खाता विभाजन का है जिसमें वर्तमान में वादीगण केवल खाातेदारी की घोषणा करवाना चाहते है तथा खाता विभाजन नहीं करवाना चाहते है। दावा के मुख्य प्रतिवादी सं. 1 ने दावा के विरोध में कोई जवाब या साक्ष्य पेश नहीं किया है तथा उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही भी हो चुकी है। वादगत कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 3 बैंक के रहन है जिसने अपने जवाब में बैंक के हित सुरक्षित रखने का निवेदन किया है। वादीगण ने दावा में बैंक प्रतिवादी सं. 3 के खिलाफ कोई अनुतोष नहीं चाहा है। प्रस्तुत दावा के अवलोकन से यह परिलक्षित होता है कि वादी सं. 1 से 4 जो प्रतिवादी सं. 1 के पुत्र–पुत्री हैं तथा वादिया सं. 5 जो कि प्रतिवादी सं. 1 की पत्नी हैं तथा वादगत कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 1 की पैतृक खातेदारी की है। नियमानुसार पैतृक दादालाई सम्पत्ति में किसी भी खातेदार की जायन्दा सन्तानों का हक हिस्सा बाई बर्थ होता है परन्तु नियमानुसार पति के मौजूद रहते पत्नी का हक हिस्सा Arise नहीं होता। प्रस्तुत वाद में चूंकि प्रतिवादिया सं. 5 जो प्रतिवादी सं. 1 की धर्मपत्नी हैं तथा उनके पति मौजूद हैं इसलिए वादगत कृषि भूमि में उनका हक हिस्सा उनके पति में ही निहित होने के कारण प्रतिवादी सं. 5 के पक्ष में खातेदारी की घोषणा किया जाना विधिसम्मत नहीं है। वादगत कृषि भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 का प्रत्येक का 1/5 हिस्सा नियमानुसार बनता है। वादगत कृषि भूमि बैंक के रहन दर्ज है तथा वादीगण ने बैंक के खिलाफ कोई अनुतोष नहीं चाहा है इसलिए खातेदारी की घोषणा के पश्चात् भी उक्त सम्पूर्ण भूमि यथावत् बैंक रहन ही दर्ज रहेगी। वादी सं. 1 से 4 जो कि प्रतिवादी सं. 1 के जायन्दा पुत्र–पुत्री हैं तथा वादगत कृषि भूमि वादीगण की पैतृक दादालाई सम्पत्ति है, इसलिए वादीगण उक्त वादगत कृषि भूमि में अपने पिता के साथ बराबर–बराबर खातेदारी हिस्से की घोषणा करवा कर राजस्व अभिलेख में अपने नाम दर्ज करवाने के अधिकारी हैं। दावा वादीगण आंशिक रूप से स्वीकार करने योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

## निर्णय

अतः दावा वादीगण आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि वादगत कृषि भूमि खसरा नम्बर 320 तादादी 5.8805 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 540/2 तादादी 6.2094 हैक्टेयर कुल किता 02 की कुल तादादी 12.0899 हैक्टेयर रोही मौजा दूधवा मीठा तहसील व जिला चूरू में वादी सं. 1 से 4 एवं प्रतिवादी सं. 1 प्रत्येक को 1/5, 1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार, चूरू को उपरोक्त वादगत कृषि भूमि के राजस्व अभिलेख में उक्तानुसार अंकन करने का आदेश दिया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27.09.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( श्वेता कोचर )
उपखण्ड अधिकारी, चूरू

# डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
## (आर्डर 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
(CIVIL PROCEDURE CODE, APPENDIX "D")
## अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम चूरू

**इजलास : सुश्री श्वेता कोचर आर0ए0एस0**

1. जयपालसिंह पुत्र
2. नरपतसिंह पुत्र
3. भवानीसिंह पुत्र
4. विनोदकंवर पुत्री
5. ओमकंवर पत्नी

छतुसिंह जाति राजपूत निवासी दूधवा मीठा तहसील व जिला चूरू (राज.)

–वादीगण–

बनाम

1. छतुसिंह दत्तक पुत्र मालसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम दूधवा मीठा, तहसील व जिला चूरू (राज.)
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, चूरू (राज.)

–प्रतिवादीगण–

3. बड़ौदा राज. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा जसरासर तहसील व जिला चूरू (राज.)

–गौण प्रतिवादी–

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88 आर.टी.ए.
मुकदमा नं. 487 सन् 2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू हमारे हाजरी श्री सुरेन्द्रकुमार बुडानिया एडवोकेट वादी, मिनजानिब मुदईब व पैरोकार राज प्रतिवादी मिनजानिब मुदाएलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:–

दावा वादीगण आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर डिकी किया जाता है कि वादगत कृषि भूमि खसरा नम्बर 320 तादादी 5.8805 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 540/2 तादादी 6.2094 हैक्टेयर कुल किता 02 की कुल तादादी 12.0899 हैक्टेयर रोही मौजा दूधवा मीठा तहसील व जिला चूरू में वादी सं. 1 से 4 एवं प्रतिवादी सं. 1 प्रत्येक को 1/5, 1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार, चूरू को उपरोक्त वादगत कृषि भूमि के राजस्व अभिलेख में उक्तानुसार अंकन करने का आदेश दिया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 27 माह सितम्बर सन् 2019 को जारी की गई।

( श्वेता कोचर )
उपखण्ड अधिकारी, चूरू